

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 09 सन 2022

अनवान :-

1. कृष्णा देवी पुत्री गोपीराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट साकिन चक 1 आरपीएम तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136

भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरिस्थित :- श्री राजपाल झोरड अधिवक्ता प्रार्थी

निर्णय दिनांक :- 13/02/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट के तहत पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 75/26 की कुल 3.2890 हैक् में से 411/16445 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण घोला पुत्री गोपीराम दर्ज हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कृष्णा देवी पुत्री गोपीराम है यही नाम अन्य सभी दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, भागाशाह कार्ड, राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कृष्णा देवी पुत्री गोपीराम दर्ज है सहदन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 75/26 की कुल 3.2890 हैक् में से 411/16445 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम घोला पुत्री गोपीराम के स्थान पर कृष्णा पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम हाल घेउ तहसील भादरा संशोधन करने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया अप्रार्थी संख्या 1 की और से पेरकार राज उपस्थित आकर जबाब पेश किया गया की प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हको को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।

वकील प्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 75/26 की कुल 3.2890 हैक् में से 411/16445 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय उच्चारण के कारण घोला पुत्री गोपीराम हो गया जबकि प्रार्थी का सही नाम कृष्णा देवी पुत्री गोपीराम है यही नाम अन्य सभी

उपखण्ड अधिवक्ता  
नोहर

दस्तावेजात में दर्ज है प्रार्थी का गलत नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज रहने से प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है।

वादी का नाम अन्य दस्तावेजात जैसे मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड , राशनकार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कृष्णा देवी पुत्री गोपीराम दर्ज है सहवन से राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम गलत तौर से दर्ज हुआ है इसलिये प्रार्थी अपना नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जाना उचित है।


हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 75/26 की कुल 3.2890हैक् में से 411/16445 हिस्सा भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है जिसमें प्रार्थी का नाम धोला पुत्री गोपीराम दर्ज है। प्रार्थी का कथन है कि उसका सही नाम कृष्णा पुत्री गोपीराम निवासी हाल धेउ है यही नाम अन्य दस्तावेजात में भी दर्ज है

प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात मतदाता फोटा पहचान पत्र , आम आदमी का आधार कार्ड , भामाशाह कार्ड राशन कार्ड आदि सभी में प्रार्थी का नाम कृष्णा पुत्री गोपीराम है प्रार्थी के नाम के सम्बध में सरपंच ग्राम पचायत की तस्दीक भी पेश की गई है प्रार्थी ने अपने नाम के सम्बध में स्वयं का शपथ/दस्तावेजात /तहसीलदार /सरपंच की अभिशपां के आधार पर प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन करवाने का अधिकारी है नाम संशोधन करने से राज्यहकों को कोई नुकसान नहीं है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधन होता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र साक्ष्य सबुतों /शपथ पत्र /एवं पेरोकार की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है कि रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 75/26 की कुल 3.2890हैक् में से 411/16445 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम धोला पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम के रथान पर धोला उर्फ कृष्णा देवी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम हाल धेउ तहसील भादरा संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 18/2/22 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया

।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )

तहसीलदार राजस्व  
नोहर ।

विषय :- प्रकरण संख्या 09/2022 अनवानी कृष्णादेवी बनाम सरकार में पारित निर्णय की पालना करवाने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- अनवान :-

1. कृष्णादेवी पुत्री गोपीराम पत्नी महेन्द्र जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम हाल निवासी धेउ तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।  
प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 136  
भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 09/2022 अनवानी कृष्णादेवी बनाम सरकार में दिनांक 18/02/2022 को निर्णय पारित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मौजा चक 1 आरपीएम के खाता संख्या 75/26 की कुल 3.2890 हैक् में से 411/16445 हिस्सा भूमि में प्रार्थी का नाम धोला पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम के स्थान पर धोला उर्फ कृष्णा देवी पुत्री गोपीराम जाति जाट निवासी चक 1 आरपीएम हाल धेउ तहसील भादरा संशोधन किये जाने आदेश पारित किये गये है तदानुसार राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )